भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2397
(10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

2397. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की प्रगति और तमिलनाडु सहित देश में ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका बढ़ाने में गत वर्ष के दौरान इसकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने के लिए एनआरएलएम के अंतर्गत कार्यान्वित की गई कार्यनीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की यह सुनिश्चित करने की कोई योजना है कि एनआरएलएम के लाभ विशेषकर दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों की सर्वाधिक अल्पसेवित आबादी तक पहुंचे;

(घ) एनआरएलएम में स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) की क्या भूमिका है और सरकार उनके विकास और वहनीयता में किस प्रकार सहायता प्रदान करती है; और

(ङ) क्या मंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उपशमन और आर्थिक विकास पर एनआरएलएम के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए किसी उपाय की रूपरेखा दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मासानी)

(क): ग्रामीण विकास मंत्रालय दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई - एनआरएलएम) को कार्यान्वित कर रहा है जिसे वर्ष 2011 में पूरे देश में (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना और उन्हें तब तक लगातार पोषित और सहायता प्रदान करना है जब तक कि वे समय के साथ आय में सराहनीय वृद्धि प्राप्त न कर लें और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार न हो तथा वें अत्यंत गरीबी से बाहर न निकल जाएं। दिनांक 31 अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार इस मिशन को 28 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 742 जिलों के 7138 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

कुल मिलाकर 10.05 करोड़ महिलाओं को 90.87 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया है। पिछले वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24) के दौरान तमिलनाडु सहित डीएवाई-एनआरएलएम के तहत उपलब्धियों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत प्रमुख कार्यनीतियाँ इस प्रकार हैं:

- पात्र महिलाओं को सार्वभौमिक रूप से स्वयं सहायता समूहों में शामिल करना।
- स्वयं सहायता समूहों का क्षमता निर्माण, उन्हे परिक्रामी निधि और सामुदायिक निवेश निधि प्रदान करके उन्हें सुदृढ़ बनाना।
- बैंक की सुविधा प्रदान करना, वित्तीय साक्षरता प्रदान करना, डिजिटल वित्तीय सुविधाओं और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच को सुविधाजनक बनाना।
- स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवहार अपनाने को प्रोत्साहित करना।
- स्त्री को मुख्यधारा में लाना और स्त्री-पुरुष समानता के प्रति संवेदनशील संस्थानों का निर्माण।
- पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) और समुदाय-आधारित संगठनों (सीबीओ) के बीच अभिसरण को बढ़ावा देना
- क्षमता निर्माण और आजीविका के फॉरवर्ड और बैकर्ड लिंकेज प्रदान करना
- मंत्रालयों और विभागों के साथ अभिसरण और तकनीकी सहायता के लिए विभिन्न संगठनों के साथ सहयोग।

(ग): एक या अधिक वंचन मानदंड वाले सभी परिवार एसईसीसी 2011 के अनुसार स्वतः ही उन परिवारों में शामिल परिवार है जो डीएवाई-एनआरएलएम लक्ष्य समूह में आते हैं। इसके अलावा, 'गरीबों की सहभागितापूर्ण पहचान' (पीआईपी) प्रक्रिया के माध्यम से चिन्हित किए गए और ग्राम सभा द्वारा मान्य किए गए पात्र परिवारों को भी स्व सहायता समूहों में शामिल किया जाता है। इसके अलावा, डीएवाई-एनआरएलएम का उद्देश्य अपनी समावेशन रणनीति के माध्यम से पूर्णतः लाभ प्रदान करना है ताकि सबसे कमजोर और वंचित आबादी को इसके दायरे में लाया जा सके। विकलांग व्यक्तियों, वृद्धों, ट्रांसजेंडरों और सबसे गरीब लोगों को शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ): डीएवाई-एनआरएलएम पात्र ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में शामिल करने के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन करता है। इन स्वयं सहायता समूहों को गरीबों की जमीनी स्तर पर काम करने वाली संस्थाओं के रूप में विकसित किया जाता है। स्वयं सहायता समूहों को स्थायी निधि के रूप में परिक्रामी निधि (आरएफ) और सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) उपलब्ध कराई जाती है। इससे उन्हें क्रेडिट हिस्ट्री में मदद मिलती है जिससे उन्हें बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सुविधा मिलती है। मिशन के तहत, स्वयं सहायता समूहों और उनके सदस्यों को कृषि और गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों में अपनी आजीविका में विविधता लाने के लिए निरंतर क्षमता निर्माण और सहायता प्रदान की जाती है।

(ङ): जी, हां। निगरानी और मूल्यांकन तथा प्रभाव मूल्यांकन कार्यक्रम का अभिन्न अंग हैं। उदाहरण के लिए, 2019-20 के दौरान विश्व बैंक के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव मूल्यांकन पहल (3आईई) द्वारा डीएवाई-एनआरएलएम का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। मूल्यांकन में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लगभग 27,000 उत्तरदाताओं और 5,000 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ 9 राज्यों को शामिल किया गया। मूल्यांकन से पता चलता है कि 2.5 वर्षों के लिए मिशन के तहत अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए है:

i. आधार राशि के अलावा आय में 19 प्रतिशत की वृद्धि।

ii. इनफार्मल ऋण अंश में 20 प्रतिशत तक की कमी।

iii. बचत में 28 प्रतिशत की वृद्धि।

iv. श्रम बल भागीदारी में सुधार – योजना के तहत आने वाले क्षेत्रों में द्वितीयक व्यवसाय अपनाने वाली महिलाओं का अनुपात अधिक (4%) है।

v. अन्य योजनाओं तक पहुँच में बढ़ोत्तरी–लाभ पाने वाले परिवारों द्वारा सामाजिक योजनाओं के लाभ की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि (2.8 योजना आधार मूल्य से 6.5 प्रतिशत अधिक)।

विगत वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24) के दौरान डीएवाई-एनआरएलएम के तहत तमिलनाडु राज्य सहित उपलब्धियों के ब्यौरे के संबंध में दिनांक 10.12.2024 को दिए जाने के लिए नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2397 के भाग (ए) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-I

क्र.सं.	**संकेतक**	**वर्ष 2023-24 के दौरान उपलब्धियां**
1	स्वयं सहायता समूहों में शामिल महिलाओं की संख्या (करोड़ में)	1.05
2	सहायता प्राप्त स्वयं सहायता समूहों की संख्या (लाख में)	7.48
3	वितरित ऋण राशि (रु.करोड़ में)	207817.68
4	प्रदान की गई पूंजीकरण सहायता (परिक्रामी निधि = + सामुदायिक निवेश निधि) की राशि (रुपये करोड़ में)	10821.95
5	नियोजित बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी/डिजीपे सखी की संख्या	24353
6.	कृषि पारिस्थितिकीय प्रथाओं (एईपी) संबंधी कार्यक्रमों के तहत शमिल की गई महिला किसानों की संख्या (लाखों में)	87.50
7.	कृषि-पोषक उद्यान संबंधी महिला किसानों की संख्या (लाखों में)	65.34
8.	एसवीईपी के अंतर्गत सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या (लाखों में)	0.54
